(147) अ

संख्या– 1430 / 194 / 02 / XIV–2 / 2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2011

विषयः– शक्कर विशेष निधि के पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि में से आहरण एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में प्रदत्त अनुमति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड के पी0एल0ए0 खाता लेखा शीर्षक डिपाजिट एण्ड एडवान्सेस नॉन बियरिंग इन्ट्रेस्ट 8229–विकास एवं कल्याण निधियॉ, 105–चीनी विकास निधि में अवशेष गन्ना मूल्य हेतु गन्ना क्रय अधीनियम 1961 की धारा 3 (10)(B) में जमा धनराशि में से ₹ 4,79,67,000.00 को गन्ना क्रय अधीनियम 1961 की धारा 3 (10)(C) में स्थानान्तरण करते हुए एवं धारा 3 (10)(C) में अवशेष धनराशि ₹ 55,33,000.00 अर्थात ₹ 5,,35,00000.00 (पांच करोड़ पैंतीस लाख रूपये मात्र) **संलग्न विवरणानुसार** ऋण के रूप में दिये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं। तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 के पैरा 223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर से बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित कर सार्वजनिक तथा सहकारी चीनी मिलों को उपलब्ध करायें।

2. उक्त ऋण का उपयोग केवल गन्ना मूल्य भुगतान ऋण हेतु ही किया जायेगा तथा संबंधित मिल को धनराशि तत्काल प्रदान करा दी जायेगी। संबंधित प्रधान प्रबंधक / अधिशासी निदेशक, चीनी मिल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य मद में न किया जाए। व्यावर्तन की स्थिति में संबंधित प्रधान प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. उक्त ऋण पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसकी ब्याज सहित अदायगी आगामी पॉच वर्षो में वार्षिक किश्तों में की जायेगी। ब्याज सहित प्रथम किश्त की अदायगी 01.04.2012 तक देय होगी।

4. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर तिथि, लेखाशीर्षक, सूचित करते हुए भेजेंगे।

5. उक्त चीनी मिल जब भी किश्तों का भुगतान करें या ब्याज जमा करें, यह महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजेंगेः-

1. कोषागार का नाम
2. चालान संख्या तथा दिनांक
3. जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज
4. लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया
5. शासनादेश संख्या और एव0एल0आर0 का संदर्भ
6. पिछले जमा का संदर्भ

उक्त चीनी मिल, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड आहरण के प्रत्येक वर्ष अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।

6. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि उक्त चीनी मिल ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अवश्य उपलब्ध करा देगें।

7. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अनिवार्यतः शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

8. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाये।

9. यह गन्ना एवं चीनी आयुक्त तथा उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वे चीनी मिल के वित्तीय घाटे को न्यूनतम/समाप्त करने तथा चीनी मिल के लाभकारी संचालन हेतु दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करते हुए अगले पेराई सत्र से पूर्व उसका कियान्वयन सुनिश्चित कर लें, तथा सुधारात्मक परिणामों से शासन को अवगत करायें।

10. उत्तराखण्ड में यथानुकूलित उ0प्र0 गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961 के प्राविधानान्तर्गत उक्त धनराशि शक्कर विशेष निधि के मानको के अनुसार ही व्यय की जाए।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।